

पुलिस और न्यायपालिका में जातिगत विविधता के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़

- पुलिस में ओ.बी.सी./एससी/एसटी श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या आधे से ज्यादा हो गई हैं
- अधीनस्थ न्यायालयों में ओ.बी.सी और एससी का कोटा पूरा हुआ
- पुलिसबल में ज्यादातर रिक्त पद 'सामान्य' श्रेणी के हैं

10 नवंबर, 2023, छत्तीसगढ़: देश में न्याय प्रदान करने के मामले में राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करने वाली एकमात्र रिपोर्ट, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 को इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में न्याय प्रदान करने के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान दिया गया है।

वर्ष 2008 से 2021 के बीच कुछ गिने-चुने सुधारों के बावजूद, पुलिस एवं न्यायपालिका में रिक्त पदों और लैंगिक विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ प्रभावी न्याय वितरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

सुश्री माया दारुवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट **2022** ने कहा, "हम 2030 तक सभी के लिए न्यायिक संस्थानों को मजबूत बनाने के साथ-साथ न्याय की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे समय में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मौजूदा न्याय व्यवस्था, खास तौर पर पुलिस और न्यायपालिका की कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। लंबे समय से बरकरार रही चुनौतियों के विषय पर एक व्यावहारिक विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ये जानकारी, हमारी न्याय वितरण प्रणाली में तात्कालिक और मौलिक सुधारों की आवश्यकता को दोहराती हैं, जो आखिरकार एक न्यायसंगत और समान समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगी।"

छत्तीसगढ़ पुलिस: 'सामान्य' श्रेणी पर असर, लेकिन ओबीसी/एसटी का कोटा पूरा होने से विविधता का स्तर बेहतर हुआ है

साल 2008 से 2021 के बीच, 'सामान्य' श्रेणी के लिए रिक्त पदों की संख्या दोगुनी हो गई है और पुलिसबल में उनका प्रतिनिधित्व वर्ष 2008 में 52% से घटकर वर्ष 2021 में 21% हो गया है। इसके विपरीत, ओबीसी/एससी/एसटी श्रेणी के लिए रिक्त पदों की संख्या आधी से भी ज्यादा हो गई हैं। साल 2008 में, कुल रिक्तियों में से आधे से ज्यादा रिक्त पद (55%) ओ.बी.सी तथा एससी श्रेणियों के लिए थे, जबकि शेष 45% रिक्त पद 'सामान्य' श्रेणी के लिए थे। हालाँकि, वर्ष 2021 तक, ओ.बी.सी तथा एसटी श्रेणियों का कोटा पूरा हो चुका है और एससी श्रेणियों के लगभग सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, और इसी वजह से अब ज्यादातर रिक्त पद 'सामान्य' श्रेणी के हैं।

आज, राज्य के पुलिस बल में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रतिनिधित्व सबसे मजबूत है, जो वर्ष 2008 में 29% की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़कर 40% हो गया है। इसी अवधि में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व भी 12% से बढ़कर 25% हो गया है। भले ही पुलिसबल में ओबीसी और एसटी के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से कांस्टेबलों की संख्या बढ़ी है। उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में से लगभग एक-तिहाई (32%) 'सामान्य' श्रेणी के हैं, और इस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक बना हुआ है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 7% है जो देश में सबसे कम है

पुलिसबल में तैनात कुल कर्मियों में से केवल 7% महिलाएँ हैं, जिनमें से अधिकारियों के बीच इनका प्रतिनिधित्व 9% तथा कांस्टेबल के पदों पर 7% है। यह प्रतिशत देश में सबसे कम में से एक है। 30% के अपने आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को अतिरिक्त 17,320 महिलाओं को नियुक्त करना होगा।

उच्च न्यायालय में रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी, उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 7% है

वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के 43 पद रिक्त हैं, जो देश में सबसे कम में से एक है। हालाँकि वर्ष 2018 की तुलना में स्थिति में काफी सुधार दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त रिक्त पदों की संख्या 65 थी। कुल रिक्तियों में से सबसे ज्यादा रिक्त पद श्रेणी अनुसूचित जनजाति, के हैं, जबकि ओबीसी तथा एससी श्रेणियों का कोटा पूरा हो चुका है। जातिगत आधार पर देखा जाए, तो एसटी का अनुपात सबसे अधिक है, तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व 28% है।

इसके विपरीत, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद की संख्या वर्ष 2018 में 31% से बढ़कर वर्ष 2022 में 36% हो गई। हालाँकि अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018 में 37% से थोड़ी बढ़कर वर्ष 2022 में 41% हो गई है, लेकिन इसी अवधि में उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व घटकर आधा रह गया है, जो 14% से कम होकर अब सिर्फ 7% हो गया है।

छत्तीसगढ़ में पुलिस, जेलों और न्यायपालिका में रिक्त पदों की कुल संख्या 13,751 हैं।